

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/48/2019

प्रवेश तिथि
02-07-2019

निर्णय दिनांक
28-11-2019

01- बिशम्बर पुत्र श्री भोरिया जाति अहीर निवासी माहोन्द तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर राज0।

-अपीलांत

बनाम

01- तहसीलदार किशनगढ़-बास, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार किशनगढ़बास
दिनांक 30.10.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 21/2018

उपस्थित:-

01-श्री जनार्दन शर्मा

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़बास के आदेश दिनांक 30.10.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम माहोन्द की सरकारी गै0मु0 नाला भूमि के आराजी खसरा नम्बर 230/0.57 है0, 264/0.81 है0, 269/0.83 है0 में से 0.65 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम माहोन्द की सरकारी गै0मु0 नाला भूमि के आराजी खसरा नम्बर 230/0.57 है0, 264/0.81 है0, 269/0.83 है0 में से 0.65 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 07.09.2017 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांत को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरुद्ध दिनांक 28.06.2019 को पेश किया। जो करीब 8 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-11-2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28/11/19
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)